संख्या–162/XXIV-3/18/02(08)2005

प्रेषक,

डा0भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांकः 27 मार्च, 2018

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में बालचर स्काउट गाइड्स योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि को व्यय करने की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याःअर्थ–1/23926/5क(01)(14)/2017–18, दिनांकः 09 नवम्बर, 2017 एवं पत्र संख्या–विविध/37363/बालचर स्काउट/2017–18, दिनांकः 30जनवरी, 2018 तथा वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–610/3(150)/XXVII(1)2017, दिनांकः 30 जून, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में श्री राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के संचालनार्थ रू0 25,00,000.00 (रू0 पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैंः–

(i) संस्था द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय अपने कार्मिकों के वेतनादि पर नही किया जायेगा,क्योंकि संस्था के कार्मिकों के अधिष्ठान पर होने वाले व्यय का दायित्व राज्य सरकार का नही है।

(ii) संस्था द्वारा उक्त धनराशि का कम से कम 1/3 भाग जन कल्याण के विकास कार्यो पर भी व्यय किया जायेगा।

(iii) संस्था द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किये जाने का प्रमाण–पत्र निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराने के पश्चात ही आगामी वित्तीय वर्ष में धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

(iv) अनुदान के उपयोग पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–1 के अध्याय –16 एवं समय–समय पर जारी सम्बन्धित आदेशों के नियम लागू होंगे तथा आडिटेड व्यय विवरण उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(v) योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहॉ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

(vi) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हों, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(vii) यह उल्लेखनीय है कि व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(viii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 610/3(150)/XXVII (1)2017, दिनांकः 30 जून, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन किया जायेगा।

(ix) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली,2017 के संगत प्राविधानों का पूर्णतः अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित

किया जायेगा। यह भी उल्लेखनीय है कि व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है व्यय करते समयमितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

2— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में **अनुदान संख्याः–11** के अधीन **राजस्व पक्ष** के लेखा शीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 02–माध्यमिक शिक्षा, 001–निदेशन तथा प्रशासन, 11–बालचर स्काउट के अन्तर्गत मानक मद–42–अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3— यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 610/3(150)/XXVII(1)2017, दिनांकः 30 जून, 2017 में प्राप्त निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे हैं

संलग्न :यथोक्त

भवदीया,

(डा0भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

पृष्ठाकंन संख्याः 162(1)/XXIV-3/18/02(08)2005 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,उत्तराखण्ड देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार, 23–लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
3– समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय सचिवालय।
10–वित्त विभाग (अनुभाग–3) उत्तराखण्ड शासन।
11–कम्प्यूटर सेल, वित्त विभाग।
12–एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर,देहरादून।
13–विशेष कार्याधिकारी, महानिदेशक सूचना, सचिवालय परिसर।
14–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कवीन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव।